निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी श्री बृजेन्द्र मीना, आर.ए.एस.

मु.न.	तारीख रजु	तारीख निर्णय
04 / 2023	03.01.2023	२४ - १ - २३

1. कल्ली देवी पत्नी मिश्रीलाल जाति मीना निवासी हीरापुर तह. तलवाड़ा

वादीया

बनाम

1. मंगल पुत्र माध्या जाति हरीजन निवासी हीरापुर तह. तलवाड़ा
2. मंगल पुत्र रेवड्या जाति बैरवा निवासी हीरापुर तह. तलवाड़ा
3. लैण्डहोल्डर जरिये तहसीलदार तलावड़ा

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् विभाजन भूमि धारा 53 राज.टी.एक्ट

उपस्थित :– श्री सतीश कुमार शर्मा एडवोकेट वादीया की ओर से

निर्णय

वादीया ने वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि खसरा नं. 1125 रकबा 5.27 हैक्टेयर वाके ग्राम हीरापुर तह. तलावड़ा वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी व गैर खातेदारी की भूमि है। वर्णित भूमि का रिर्कोड मे अभी विभाजन नही हुआ है जिसे लेकर पक्षकारान में आपस मे विवाद रहता है प्रतिवादीगण की भूमि को हर साल अलग–अलग व्यक्ति काश्त करता है। जिससे वादीया व काश्त करने वाले व्यक्तियों में आपस में कब्जे को लेकर विवाद रहता है। वादीया जब प्रतिवादी गण से भूमि के विभाजन के लिये कहती है। तो प्रतिवादी गण आना कानी करते रहते है इसलिये वादीया को यह दावा बाबत् विभाजन पेश करना आवश्यक हुआ है मोके पर भूमि का विभाजन नही होने के कारण आये दिन पक्षकारो में विवाद होता रहता है इसलिये न्याय हित में विवादित भूमि खसरा नं. 1125 रकबा 5.27 हैक्टेयर वाके ग्राम हीरापुर तह. तलावड़ा का विभाजन मीट्स एण्ड बाउड्स के आधार पर किया जाना आवश्यक है तथा वादीया का हिस्सा 1/2 का खाता पृथक से कायम किया जावे । आवश्यकता हो तो पृथक से खसरा नं. एवं लगान सरकार कायम किया जावें।

दावा दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजुद सुचना हाजिर अदालत उपस्थित नही हुये है इसलिये प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गयी।

वाद पत्र के समर्थन में वादीया ने नकल जमाबंदी सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 247 ग्राम हीरापुर व नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किये है।

जिला कलेक्टर एवं ... सत्यमेव जयते ... र सिटी

सहायक कलेक्टर
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

वादीया का दावा तहसीलदार तलावड़ा से विभाजन स्कीम मंगवाये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार तलावड़ा से दिनांक 17.10.2025 को विभाजन स्कीम निम्नानुसार प्राप्त हुई।

1. कल्लीदेवी पत्नी मिश्री लाल जाति –मीना खसरा नं0 1125 रकबा 2.6350 है0 किस्म बारानी दो, हिस्सा पूर्ण सा0देह खातेदार।
2. आरती , ज्योति, पूजा, पिंकी, ममता, शिवानी पुत्री रामस्वरूप, महेन्द्र, राकेश , रामचरण पुत्र रामस्वरूप , गुलाब पत्नी रामस्वरूप हिस्सा 1 / 10 , आशा पत्नी भरोसी , विजय पुत्र भरोसी हिस्सा 1 / 15 , गुडडी पुत्री भरोसी हिस्सा 1 / 30 , सरबती पुत्री मंगल हिस्सा 1 / 10 , सुरेश पुत्र मंगल हिस्सा 1 / 10 , मंगल पुत्र रेवड्या हिस्सा 1 / 2 , माया , बबीता पुत्री हब्बा लाल , कैलाशी पत्नी हब्बा लाल हिस्सा 1 / 10 खसरा नं0 1125 रकबा 2.6350 है0 किस्म बारानी 2 सा0 देह गैर खातेदार प्रस्तुत की है।

बहस विद्वान वकील विभाजन स्कीम पर सुनी गई। वकील वादीया द्वारा तहसीलदार तलावड़ा से प्राप्त विभाजन स्कीम अनुसार पक्षकारों का हिस्सा विभाजित किया जाकर वादीया का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं उसमे प्रस्तुत विभाजन स्कीम का अवलोकन किया गया। चुंकि दावा विभाजन का है एवं वादीया विभाजन स्कीम अनुसार विभाजन करवाये जाने पर सहमत है इसलिए वादीया का दावा मुताबिक विभाजन स्कीम अनुसार डिक्री किया जाना प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रस्तुत वाद डिक्री किया जाता है। एवं तहसीलदार तलावड़ा के यहां से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार भूमि का विभाजन किया जाता है।

1. कल्लीदेवी पत्नी मिश्री लाल जाति –मीना खसरा नं0 1125 रकबा 2.6350 है0 किस्म बारानी 2, हिस्सा पूर्ण सा0देह खातेदार के नाम दर्ज की जावे ।

2. आरती , ज्योति, पूजा, पिंकी, ममता, शिवानी पुत्री रामस्वरूप, महेन्द्र, राकेश , रामचरण पुत्र रामस्वरूप , गुलाब पत्नी रामस्वरूप हिस्सा 1 / 10 , आशा पत्नी भरोसी , विजय पुत्र भरोसी हिस्सा 1 / 15 , गुडडी पुत्री भरोसी हिस्सा 1 / 30 , सरबती पुत्री मंगल हिस्सा 1 / 10 , सुरेश पुत्र मंगल हिस्सा 1 / 10 , मंगल पुत्र रेवड्या हिस्सा 1 / 2 , माया , बबीता पुत्री हब्बा लाल , कैलाशी पत्नी हब्बा लाल हिस्सा 1 / 10 खसरा नं0 1125 रकबा 2.6350 है0 किस्म बारानी 2 सा0 देह गैर खातेदार के नाम दर्ज की जावे।

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स0मा0)

इसी अनुसार पक्षकारान के नाम भूमि की पृथक पृथक खातेदारी दर्ज की जावे। पृथक पृथक लगान दर्ज किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगा। पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.1.16 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

([illegible])
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी